

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

एफ.2(4530)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14

जयपुर, दिनांक 10/02/2016

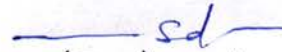
2/45444/2016

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री नरेन्द्र सिंह, सूचना सहायक, जो कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी, टोंक में पदस्थापित है, को RRB, SSC द्वारा आयोजित **CGL Exam 2016** की (प्रतियोगी) परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री नरेन्द्र सिंह, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणोंवश प्रतियोगी की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।



(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

- 1-जिला रसद अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, टोंक।
- 2.श्री नरेन्द्र सिंह,सूचना सहायक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, टोंक।
- ✓ 3.प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 4.निजी/रक्षित पत्रावली।



तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभागएफ.2(1398)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14
2/45448/2016

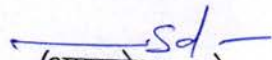
जयपुर, दिनांक 10/02/2016

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री नवीन कुमार शर्मा, सूचना सहायक, जो कि कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनू में पदस्थापित है, को द्वारा आयोजित राजस्थान नगर पालिका द्वारा आयोजित **EO, RO, RI, ARI & SWM** एवं **Junior Accountant** तथा **RRB** द्वारा आयोजित **Commercial/Traffic Apprentice Exam, RPSC** द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी प्राध्यापक एवं व्याख्याता परीक्षा एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2015 की (प्रतियोगी) परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री नवीन कुमार शर्मा, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणोंवश प्रतियोगी की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

- 1-खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनू।
2. श्री नवीन कुमार शर्मा, सूचना सहायक, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनू।
- ✓ 3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।



तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव